D-N 2 395

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 177/2017

मोहनी बनाम [illegible]

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक 18/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मोहनी [illegible] ने जरिये अभिभाषक श्री A.K. [illegible] ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल [illegible] खाते की भूमि ग्राम [illegible] प0ह0 [illegible] तह0 माण्डलगढ मे आ [illegible] 130 की 3751/737 खाता [illegible] 56 की 3750/737, [illegible] 2 [illegible] 5 बीस्वा किता रकबा बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आए [illegible] विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अत:पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे [illegible] साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद [illegible] शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अत: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया [illegible] ग्राम [illegible] की आराजी न0 खाता न0 56 की 3750/737 2 [illegible] खाता न0 130 की 3751/737 5 बीस्वा 2 रकबा 7 बीघा – बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी [illegible] के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 350/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।